#### <u>न्यायालय: – श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,</u> जिला-बालाघाट (म.प्र.)

<u>आप. प्रक. क.—170 / 2015</u> <u>संस्थित दिनांक—10.03.2015</u> <u>फाईलिंग नं.—234503001972015</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

\_ \_ \_ \_ \_ <u>अभियोजन</u>

### / / <u>विरुद्ध</u> / /

शैलेश कुमार पिता जवाहर लाल नागेन्द्र उम्र 24 साल, जाति कतिया, साकिन अण्डीटोला बार्ड नं. 2 थाना मलाजखण्ड, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

\_ \_ \_ \_ \_ <u>आरोपी</u>

# // <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-23/04/2016 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506(भाग—2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—27.01.2015 को शाम के करीब 07.30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम अण्डीटोला, फरियादी निलेश के मकान में लोकस्थान पर फरियादी को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं आहत निलेश को कुकर के ढक्कन से सिर पर मारकर व दांतो को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुये आहत निलेश को दांतो से बांये हाथ की उंगली में काटकर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी निलेश को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी निलेश नागेन्द्र ने दिनांक—27.01.2015 को आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उक्त दिनांक को वह शाम के करीब 07.00 बजे जबलपुर से अपने घर आया, फ्रेंस होने के बाद घर में अपने परिवार सिहत मकान बनाने के बारे में शाम के करीब 07.30 बजे विचार विमर्श कर रहा था। उसका छोटा भाई शैलेश ने आवेश में आकर माँ नमीता को माँ—बहन की गन्दी—गन्दी गालिया देने लगा तथा जान से मारने की धमकी देकर माँ को हाथ मुक्के से मारपीट करने लगा। उसने बीच बचाव किया तो आरोपी ने घर में रखे कुकर के ढक्कन से उसके सिर के उपर मारा जिससे खून निकलने लगा तथा बांये हाथ की बीच वाली उंगली को दांत से काट दिया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—08/2015, धारा—294, 323, 324, 506 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 (भाग—2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत निलेश ने आरोपी से राजीनामा कर लिया जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 (भाग—2) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

## 4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--

1. क्या आरोपी ने दिनांक—27.01.2015 को शाम के करीब 07.30 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम अण्डीटोला फरियादी निलेश के मकान में आहत निलेश को कुकर के ढक्कन से सिर पर मारकर व दांतो को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुये आहत निलेश को दांतो से बांये हाथ की उंगली में काटकर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

# विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— फरियादी / आहत निलेश कुमार नागेन्द्र (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को जानता है। आरोपी उसका भाई है। घटना उसके कथन से चार—पांच माह पूर्व की ग्राम अण्डीटोला में उसके घर की है। घटना के समय वह जबलपुर से अपने घर आया था तब मकान निर्माण करने के संबंध में आरोपी से

उसका विवाद हो गया था। घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखण्ड में की थी। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौच की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी एवं आरोपी ने अपने दांतो से उसकी उंगली को काटा था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपी ने उसे कुकर के ढक्कन से मारा था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि दांत से काटने एवं ढक्कन से मारने वाली बात उसने प्रदर्श पी-1 एवं पुलिस बयान में लिखवाई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसका डॉक्टरी मुलाहिजा करवाया था एवं पुलिस ने मौके पर आकर मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 एवं 2 में पुलिस ने क्या लिखा था पुलिस ने उसे पढ़कर नहीं बताया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे कहा कि हस्ताक्षर कर दो तो उसने प्रदर्श पी-1 एवं 2 के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दो तो उसने हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट में आरोपी के द्वारा दांत से काटने एवं कुकर के ढक्कन से मारने वाली बात नहीं बतायी थी।

- 6— प्रकरण में अभियोजन द्वारा घटना में आहत फरियादी निलेश (अ.सा.1) का न्यायालयीन परीक्षण कराया गया। फरियादी ने स्वयं यह कहा है कि घटना दिनांक को उसका आरोपी से विवाद हुआ था परन्तु आरोपी ने अपने दांतो को धारदार हथियार के रूप में प्रयोग कर उसे नहीं काटा। उपरोक्त स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के अन्तर्गत अपराध कारित किया जाना सदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।
- 7— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आहत निलेश को कुकर के ढक्कन से सिर पर मारकर व दांतों को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुये आहत निलेश

को दांतो से बांये हाथ की उंगली में काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपी शैलेश कुमार नागेन्द्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

- आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। 8-
- प्रकरण में जप्तशुदा एक नग कुकर का ढक्कन मूल्यहीन होने से अपील 9-अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

सही / – (श्रीष कैलाश शुक्ल) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

सही / – (श्रीष कैलाश शुक्ल) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, AL -airei जिला-बालाघाट